

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261540
SG-DL-E-11032025-261540असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 441
No. 89]	DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946	[N. C. T. D. No. 441

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 23/20/आमंत्रण.-II/2025/वि.स.स.-VIII/विधायी/1760.—दिनांक 10 मार्च, 2025 को माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“आदेश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (सन् 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा-6 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधान सभा का दूसरा सत्र (बजट सत्र) सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से असेम्बली हॉल, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में आहूत करता हूँ।

ह0 / -
(विनय कुमार सक्सेना)
उपराज्यपाल, दिल्ली”

सदानंद साह, उपसचिव (विधायी)

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th March, 2025

F.No.23/20/Summon-II/2025/LAS-VIII/Legn./1760.—The following order of the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi, dated 10/03/2025 is hereby published for general information:

“O R D E R

In exercise of the power conferred upon me by Section 6(1) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I, hereby summon the Second Session (Budget Session) of the Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to meet at Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054 on Monday, the 24th March, 2025 at 11:00 A.M.

Sd/-

(Vinai Kumar Saxena)
Lieutenant Governor, Delhi”

SADANAND SAH, Dy. Secy. (Legislation)